

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या -45/2024

उनवान

वादी

1. दमाराम पुत्र गंगा राम जाति जाट
निवासी रामसर आगोर बबुलेरिया तहसील
रामसर जिल बाडमेर राज।



राजस्व वाद संख्या 45/2024

प्रतिवादी

7. खेमी देवी पत्नी लाधाराम
8. चनणीदेवी पत्नी चूनाराम
9. पदमाराम पुत्र चेतनराम
10. शेराराम पुत्र चेतनराम
11. लाधाराम पुत्र धन्ना राम जाति
जाट निवासी रामसर आगोर
बबुगुलेरिया तहसील रामसर जिला
बाडमेर राज।
12. तहसीलदार रामसर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :-26.12.2024

निर्णय

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा रामसर आगोर तहसील रामसर के खसरा संख्या 431/65 रकबा 7.0693 हेक्टेयर, खसरा नंबर 430/65 रकबा 2.8698 हेक्टेयर, 63 रकबा 6.1917 हेक्टेयर, 428/64 रकबा 2.5301 व 427/64 रकबा 2.0185 हेक्टेयर में वादी की पुश्तैनी विरासत से मिली भूमि आ गई है जिसमें हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा राजी अनुसार प्रतिवादीगण काबिज है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक 13.08.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामिल तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/2024/2359 दिनांक 13.12.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा संलग्न विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा रामसर आगोर तहसील रामसर के खसरा संख्या 431/65 रकबा 7.0693 हेक्टेयर, खसरा नंबर 430/65 रकबा 2.8698 हेक्टेयर, 63 रकबा 6.1917 हेक्टेयर, 428/64 रकबा 2.5301 व 427/64 रकबा 2.0185 हेक्टेयर भूमि में संलग्न तहसीलदार रामसर विभाजन एवंकशा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि को निम्नानुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाता है।

क.स.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर	किस्म	बंरग
1	दमाराम पुत्र गंगा राम जाति जाट निवासी रामसर आगोर बबुलेरिया	430/65	2.0800,	बा.सो.	आसमानी
		,431/65	2.8813		
		,427/64	2.0185,		
		,428/64	0.5665,		
		,63	1.7193		
		कुल खसरे 05	जुमले रकबा 9.2656 हेक्टेयर		
2	1. खेमी देवी पत्नी लाधाराम हिस्सा 1/6	428/64	0.6475	बा.सो.	गुलाबी
		,428/64	,1.3161		
		,63,	,1.5297		
	3.शेराराम पुत्र चेतनराम हिस्सा 1/12				

सहायक कलक्टर
रामसर

लाधाराम पुत्र धना राम हिस्सा 2/3 जाति जाट निवासी रामसर आगोर बबुगुलेरिया	63,	2.9427 हेक्टैयर		
	कुल खसरे 04	जुमले रकबा 6.4360 हेक्टैयर		
1.खेमी देवी पत्नी लाधाराम हिस्सा 1/2 2.पदमाराम पुत्र चेतनराम हिस्सा 1/4 3.शोराराम पुत्र चेतनराम हिस्सा 1/4 जाति जाट निवासी रामसर आगोर	430/65,	रकबा 0.7898 हेक्टैयर	बा.सो.	गुलाबी
1.खेमी देवी पत्नी लाधाराम हिस्सा 262/2037 2.चनणीदेवी पत्नी चूनाराम हिस्सा 320/2037 3.पदमाराम पुत्र चेतनराम हिस्सा 1164/2037 4.शोराराम पुत्र चेतनराम हिस्सा 291/2037 जाति जाट निवासी रामसर आगोर बबुगुलेरिया तहसील रामसर	431/65,	0.4856	बा.सो.	गुलाबी
	431/65	3.7024		
	कुल खसरे 02	जुमले रकबा 4.1880 हेक्टैयर		

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लटठा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित करें। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार विभाजन मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्च पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार डिग्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
रामसर

क्रमांक : सीडर/2024/ 3966-68

प्रतिलिपि :-

1.तहसीलदार रामसर।

2.वादी दमाराम पुत्र गंगा राम जाति जाट निवासी रामसर आगोर।

3.प्रतिवादी खेमीदेवी पत्नी लाधाराम वगैराह जाति जाट निवासी रामसर आगोर।

दिनांक : 26/12/2024

सहायक कलेक्टर
रामसर